



2026:AHC:172179

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 8335 वर्ष 2026

नरसिंह चौहान

....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: किरण यादव, संजय कुमार यादव

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार यादव के होलिंग ब्रीफ श्री प्रतीक प्रताप सिंह और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री संजय कुमार यादव की बात सुनी।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 191 वर्ष 2026, धारा 3(5), 115(2), 351(3), 352, 109(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत, थाना-मुबारकपुर, जिला-आजमगढ़ में दायर की गई है, जिसमें मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उपरोक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी का डर है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग करते हैं:-
 - i. प्राथमिकी में आवेदक का नाम नहीं था।
 - ii. प्राथमिकी किशन चौहान, 15-18 अज्ञात व्यक्तियों और एक अज्ञात महिला के विरुद्ध दर्ज की गई थी।
 - iii. प्राथमिकी में झूठा विवरण प्रस्तुत किया गया है। आरोपियों में से एक, जिसकी पहचान बाद में जयहिंद चौहान के रूप में हुई, को नाक की हड्डी टूटने सहित गंभीर चोटें आई हैं और इस तथ्य का अभियोजन पक्ष के बयान में खुलासा नहीं किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे केवल इसलिए फंसाया गया है क्योंकि वह जयहिंद चौहान और किशन चौहान का दूर का रिश्तेदार है।

v. इसी तरह की स्थिति वाले सह-आरोपी सदान चौहान, राम सोनकर और राकेश सोनकर को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.2026 और 23.07.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 6646 और 6130 वर्ष 2026 में पारित आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत दी गई है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि सह-आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। पांच लोग घायल हुए हैं और पांच घायलों में से तीन को गंभीर चोटें आई हैं। विवेचना के दौरान आवेदक के नाम सामने आए हैं और उन्हें अग्रिम जमानत देने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।

6. प्राथमिकी के अवलोकन से पता चलता है कि सह-आरोपी किशन चौहान और 18 अज्ञात व्यक्तियों ने पेट्रोल पंप के मालिक और कर्मचारियों पर हमला किया था। प्राथमिकी में इस घटना में किसी भी आरोपी के घायल होने का कोई उल्लेख नहीं है। आवेदकों का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है और वे विवेचना में सहयोग करने का वचन देते हैं। घटनास्थल पर लावारिस पाई गई मोटरसाइकिल आवेदकों की नहीं है। घायलों को लगी चोटें जानलेवा नहीं हैं।

7. उपरोक्त वर्णित प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय है कि आवेदकों ने अग्रिम जमानत के लिए प्रकरण सिद्ध किया है।

8. आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

9. उपर्युक्त प्रकरण में आवेदक- **नरसिंह चौहान** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाना/न्यायालय के थाना प्रभारी की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपस्थित रहेगा;



ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगा;

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें प्रकरण की खूबियों पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

14 अगस्त, 2026

अजीत

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)